फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री अजूर्नसींग पिता फतहसींग सोलंकी, नि0 107, केवल कोम्पलेक्स, नवागाम, सूरत
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 31 / 2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.07.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा जरिये क्रमांकः लो. सू.अ.प्रा. / अपील सं0 31 / 803—04दिनांक 15.04.2020 से जवाब प्राप्त हुआ। जिसमें अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में जरिये पत्रांक सू0का अधि0 / 2020 / 247 दिनांक 06.02.2020 से अपीलार्थी स्वयं को सूचित किया गया है कि आपके आवेदन में वर्णित बिन्दु अस्पष्ट होने से उक्त सूचना दिया जाना संभव नही हैं। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने से उपलब्ध नही करवायी गयी। जिसकी पावती स्वयं अपीलार्थी द्वारा दी जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णीत की जाती हैं, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)